वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 16.01.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर ",अमर उजाला, हिन्दुस्तान, आज, राष्ट्रीय सहारा, जनसंदेश टाइम्स, भारत एकता टाइम्स, न्यायाधीश, तरुणमित्र न्यूज़, जागरूक एक्सप्रेस, ज्ञानशिखा टाइम्स, "समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 16.01.2025

वीडीए अब कम करेगा एचएफएल का दायरा

गंगा और वरुणा किनारे निर्माण कार्य और मरम्मत में आने वाली अड़चनें होंगी दूर

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। वीडीए की ओर से हाई फ्लड लेवल (एचएफएल) का दायरा कम करने की तैयारी है। इससे गंगा और वरुणा किनारे निर्माण कार्य की अड़चनें दूर होंगी। 702 मौजा में तकरीबन ढाई हजार एकड़ जमीन इस दायरे में है। इन इलाकों में नए निर्माण पर रोक है। केवल वीडीए की अनुमति लेकर लोग मरम्मत कराते हैं।

वर्ष 1978 में आई बाढ़ में गंगा पार के कटेसर, साहूपुरी समेत कई गांव और बनारस के रामनगर, गोदौलिया चौराहे से लेकर लक्सा थाने तक पानी पहुंच गया था। उस दौरान सूरत की एक एजेंसी ने रिपोर्ट दी थी। उसके आधार पर वीडीए ने उस इलाके को एचएफएल क्षेत्र घोषित कर दिया था। इस क्षेत्र में निर्माण कार्य पर रोक है। इस नाते यहां पर कोई भी विकास कार्य कराने के लिए काफी दिक्कत होती है। रामनगर क्षेत्र में बाढ़ के पानी को रोकने के लिए विभिन्न पुलिया पर वीडीए ने सिंचाई विभाग की मदद से छह फ्लैपर गेट बनाए हैं। इसके लिए सिंचाई विभाग को 52 लाख रुपये दिए हैं।

ये था मामला : कोटिल्य सोसाइटी की रिट पर हाईकोर्ट ने गंगा से सटे काफी गांवों व शहरी क्षेत्र के कई इलाकों को एचएफएल घोषित किया है, जिससे इन इलाकों में कुछ वर्षो से नक्शा नहीं पास होता है। वहीं जो जर्जर भवन हैं उसके मरम्मत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर वीडीए परमिशन देता है। लिए नियोजन विभाग से सड़कों के निर्माण के लिए सर्वे कराया जा रहा है।

इन इलाके के लोगों को मिलेगा फायदा : एचएफएल दायरा कम होने से दशाश्वमेध, चौक, गोदौलिया, कोदई चौकी, जंगमबाड़ी, मदनपुरा, पांडेय हवेली, सोनारपुरा, शिवाला, भदैनी, असि, रवींद्रपुरी, रमापुरा, लक्सा, कमच्छा, रेवड़ी तालाब, गौरीगंज, भेलूपुर, गुरुधाम, साहूपुरी, कटेसर, रामनगर के आसपास के क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी।

> *सन 1978 में आई बाढ़ के बाद एचएफएल क्षेत्र चिह्नित किया गया है। पांच दशक में उन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति काफी बदल चुकी है। इन क्षेत्रों में अब गंगा का पानी नहीं आता है। कुछ इलाकों को एचएफएल से बाहर करने के लिए एनजीटी से पत्राचार किया गया है।* – **पुलकित गर्ग, वीडीए उपाध्यक्ष**

अमर उजाला–दि0 16.01.2025

वीडीए ने अवैध निर्माण कराया सील

वाराणसी। वीडीए ने बुधवार को अवैध निर्माण सील किया। सिकरौल वार्ड के आशियाना चौराहा वरुणा पुल पर राजाराम यादव अवैध निर्माण करा रहा था। वीडीए की ओर से पहले नोटिस दिया गया था। इसके बाद भी चोरी छिपे कार्य हो रहा था। जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा की अगुवाई में अवैध निर्माण को सील किया गया। ब्यूरो

हिन्दुस्तान–दि0 16.01.2025

मॉडल बनेगी जेपी मेहता से सेंट्रल जेल की सड़क

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। सेंट्रल जेल से जेपी मेहता तिराहे तक मॉडल सड़क बनेगी। वीडीए की कार्ययोजना के अनुसार ढाई किलोमीटर की यह सड़क पूरे शहर में आईकॉन के रूप में पहचानी जाएगी। सेंट्रल जेल परिसर के बाहर पाथवे बनाने का काम भी शुरू हो गया है।

पहले चरण में सेंट्रल जेल कैंपस के पास मुख्य मार्ग पर पाथवे का निर्माण किया जा रहा है। पाथवे की चौड़ाई 2 से चार मीटर होगी। पाथवे के नीचे डक्ट (तारों को बिछाने की जगह) भी बन रहा है। पाथ-वे पर दिव्यांगों की सुविधा के मद्देनजर भी प्रबंध किए जाएंगे। बीच-बीच में वाहन स्टैंड, बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था, वेंडिंग जोन भी बनाए जा रहे हैं। वहीं लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। ढाई किलोमीटर तक पाथवे पर तीन हजार से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। दो जगहों पर सेल्फी प्वाइंट भी बनाया जाएगा।

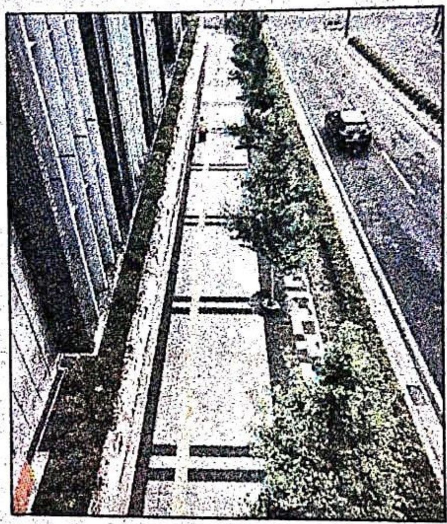

जेपी मेहता से सेंट्रल जेल तक बनने वाली सड़क का मॉडल।

हिन्दुस्तान–दि0 16.01.2025

वीडीए ने अवैध निर्माण किया सील

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने बुधवार को सिकरौल में तीन मंजिल भवन सील कर दिया। वीडीए से नक्शा पास न होने के कारण भवन स्वामी को 26 दिसंबर को निर्माण रोकने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद निर्माण जारी था। इसपर कार्रवाई की गई। इस दौरान जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा भी रहे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज–दि0 16.01.2025

निर्माणाधीन भवन सील

विप्रा उपाध्यक्षके निर्देशपर सिकरौल वार्डमें तीन स्थानोंपर अवैध निर्माणके खिलाफ काररवाई करते हुए उसे सील कर दिया। भूमि स्वामी राजाराम यादव मकान नम्बर एस २०/४७ ए और एस २०/४७ बी आशियाना चौराहा वरुणा पुलके पास निर्माण कराया जा रहा था। संबंधित भवन स्वामीको कार्य बन्द करनेकी नोटिस भी दी गयी थी। लेकिन चोरी-छिपे और अवकाश दिनोंमें और रात्रिके समय निर्माण कार्य जारी रहा। शिकायतके आधारपर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्राकी देखरेखमें सुपरवाइजरोंकी टीमने भवनको सील कर दिया। इसके बाद निकतम थानेकी देखरेखमें भवनको सुपुर्द कर दिया गया।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 16.01.2025

वीडीए ने अवैध निर्माण सील किया

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर विकास प्राधिकरण जोन-एक की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही की। सिकरौल वार्ड के अंतर्गत राजाराम यादव द्वारा अशियाना चौराहा वरूणा पुल, थाना-कैंट पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। उक्त निर्माण के विरुद्ध कारण बताओ एवं धारा-28 के अंतर्गत विकास कार्य रोकने के लिए नोटिस 26 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। लेकिन निर्माणकर्ता की तरफ से स्थल पर चोरी-छिपे रात्रि में निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसे सील कर दिया गया।

भारत एकता टाइम्स—दि0 16.01.2025

निर्माणाधीन बिल्डिंग सील

कार्रवाई

✡ नेत्रालय का बोर्ड लगाकर वीडीए की आंख में झोंक रहा था धूल

भारत एकता टाइम्स/वाराणसी

आला अफसर रोज उस बिल्डिंग के पास से गुजरते लेकिन उन्हें भी नहीं समझ आया कि जिस बिल्डिंग पर हरा पर्दा लगा है, अंदर ही अंदर अवैध तरीके से निर्माण चल रहा है। नोटिस के बाद भी चोरी छिपे चल रहे निर्माण को वीडीए ने बुधवार को रोकते हुए पूरी बिल्डिंग सील कर दी। वरुणापुल पर आशियाना तिराहे के सामने चार मंजिला इमारत पर हरे रंग का पर्दा लगाकर निर्माण चल रहा था। निर्माणाधीन बिल्डिंग पर एक आई केयर हॉस्पिटल का बोर्ड भी लगा था। आंख के अस्पताल का बोर्ड लगाकर भवन स्वामी सबकी आंखों में धूल झोंकते हुए चार मंजिला इमारत खड़ी कर दिया। बीते 26 दिसम्बर को जानकारी होने पर वीडीए ने भवन स्वामी राजाराम यादव को नोटिस जारी की थी। नोटिस के बाद भी निर्माण कार्य बदस्तूर जारी था। दिनभर काम नहीं

होता लेकिन शाम ढलते ही मजदूर लग जाते थे। सूचना पर जोनल अधिकारी टीम के साथ पहुंचे और पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए निर्माण नहीं कराएं। अब तकनीक के जरिए अवैध तरीके से हो रहे निर्माण पर नजर रखी जा रही है। कानून के शिकंजे में फंसने से बेहतर है कि वीडीए से नक्शा पास कराने के बाद ही कोई निर्माण करें। आमजन भी उन जमीनों, प्लाट पर पैसा न लगाएं जिनका मानचित्र वीडीए से स्वीकृत नहीं है।

तरूणमित्र न्यूज—दि0 16.01.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण करेगा भूखंडों की ऑनलाइन नीलामी

- **सहायता के लिए 7518102806, 9580956031 और हेल्पडेस्क नंबर**
- **7518102822,0542-2283305 से कर सकते हैं संपर्क**

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। विकास प्राधिकरण (वीडीए) द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अंतर्गत भूखंडों का विक्रय ई-आक्शन के माध्यम से किया जाएगा। नीलामी की प्रक्रिया 15 जनवरी 2025 से शुरू होकर 6 फरवरी 2025 तक चलेगी।

इच्छुक व्यक्ति प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट https://eauction.vdavns.com/home पर जाकर ई-आक्शन टैब पर क्लिक करके अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के साथ नियत तिथि तक पंजीकरण धनराशि जमा करने के बाद ऑनलाइन नीलामी में भाग लिया जा सकता है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के प्रभारी अधिकारी (संपत्ति) ने बताया कि नीलामी प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए सहायक संपत्ति अधिकारी रमेश चंद्र दुबे (मोबाइल नंबर 7518102806), पूर्णिमा यादव (मोबाइल नंबर 9580956031) और हेल्पडेस्क (फोन नंबर 7518102822,0542-2283305) से संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, वाराणसी विकास प्राधिकरण कार्यालय के हेल्पडेस्क अथवा संपत्ति अनुभाग में भी संपर्क किया जा सकता है। इस नीलामी से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट https://eauction.vdavns.com/home पर उपलब्ध है।

इच्छुक व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे समय पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सम्पति अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पूर्व में लाटरी सिस्टम से आवंटित जमीनों से इतर शेष आंशिक जमीनों के लिए ही यह प्रक्रिया हो रही है। जो पहले आवंटित हो चुके हैं वे यथावत हैं। उन प्लाटों पर यह प्रक्रिया प्रभावी नहीं होगी।

न्यायाधीश–दि0 16.01.2025

विकास प्राधिकरण ने सील किया अवैध निर्माण

वाराणसी। विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी है। सिकरौल वार्ड मे नोटिस जारी होने के बावजूद रात मे चोरी-छिपे कराए जा रहे विकास कार्य को विकास प्राधिकरण की ओर से सील कर दिया गया। साथ ही संबंधित थाने को निगरानी को सुपुर्द कर दिया गया। प्राधिकरण की कार्रवाई से निर्माणकर्ताओ मे खलबली मची रही। वार्ड सिकरौल मे राजाराम यादव द्वारा भूखंड संख्या एस-20/47 एवं एस-20, आराजी संख्या-6, मकान संख्या एस-20/47 और एस-20/47ए पर अशियाना चौराहा, वरुणा पुल, थाना कैंट क्षेत्र मे अवैध निर्माण किया जा रहा था। इस पर प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के तहत कारण बताओ और धारा-28 के तहत विकास कार्य रोकने का नोटिस 26 दिसंबर 2024 को जारी किया था। इसके बावजूद निर्माणकर्ता ने चोरी-छिपे और रुक-रुक कर रात्रि मे निर्माण कार्य जारी रखा। इसकी जानकारी होने पर वीडीए प्रवर्तन दल बुधवार को मौके पर पहुंचा और अवैध निर्माण को सील कर दिया। जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा के नेतृत्व मे कार्रवाई की गई।

जागरूक एक्सप्रेस–दि0 16.01.2025

निर्माणाधीन बिल्डिंग हुआ सील

जिला प्रतिनिधि

वाराणसी। आला अफसर रोज उस बिल्डिंग के पास से गुजरते लेकिन उन्हें भी नहीं समझ आया कि जिस बिल्डिंग पर हरा पर्दा लगा है, अंदर ही अंदर अवैध तरीके से निर्माण चल रहा है। नोटिस के बाद भी चोरी छिपे चल रहे निर्माण को वीडीए ने बुधवार को रोकते हुए पूरी बिल्डिंग सील कर दी।

रात में होता निर्माण, शाम ढलते ही लग जाते मजदूर- वरुणापुल पर आशियाना तिराहे के सामने चार मंजिला इमारत पर हरे रंग का पर्दा लगाकर निर्माण चल रहा था। निर्माणाधीन बिल्डिंग पर एक आई केयर हॉस्पिटल का बोर्ड भी लगा था। आंख के अस्पताल का बोर्ड लगाकर भवन स्वामी सबकी आंखों में धूल झोंकते हुए चार मंजिला इमारत खड़ी कर दिया।

बीते 26 दिसम्बर को जानकारी होने पर वीडीए ने भवन स्वामी राजाराम यादव को नोटिस जारी की थी। नोटिस के बाद भी निर्माण कार्य बदस्तूर जारी था। दिनभर काम नहीं होता लेकिन शाम ढलते ही मजदूर लग जाते थे। सूचना पर जोनल अधिकारी टीम के साथ पहुंचे और पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए निर्माण नहीं कराएं। अब तकनीक के जरिए अवैध तरीके से हो रहे निर्माण पर नजर रखी जा रही है। कानून के शिकंजे में फंसने से बेहतर है कि वीडीए से नक्शा पास कराने के बाद ही कोई निर्माण करें। आमजन भी उन जमीनों, प्लाट पर पैसा न लगाएं जिनका मानचित्र वीडीए से स्वीकृत नहीं है।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 16.01.2025

ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखंडों की बिक्री शुरू

जनसंदेश न्यूज

वाराणसी। ट्रासपोर्ट नगर योजना में भूकंडो की ब्रिकी बुधवार से शुरू हो गया है। इसको लेकर वीडीए ने तैयारी कर ली है और इसके लिए आनलाइन व्यवस्था बना दी है। भूखंडों का विक्रय ई-आक्शन के माध्यम से किया जाएगा। नीलामी की प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू हो गया है जो 6 फरवरी तक किया जा सकेगा। इच्छुक व्यक्ति प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ई-आक्शन टैब पर क्लिक करके अपना जहां अपना पंजीकरण कर सकते हैं। वीडीए ने बताया है कि नियत तिथि तक पंजीकरण धनराशि जमा करने के बाद हीं ऑनलाइन नीलामी में भाग लिया जा सकता है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण के प्रभारी अधिकारी (संपत्ति) ने बताया कि नीलामी प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए सहायक संपत्ति अधिकारी श्री रमेश चंद्र दुबे (मोबाइल नंबर 7518102806), सुश्री पूर्णिमा यादव (मोबाइल नंबर 9580956031) और हेल्पडेस्क (फोन नंबर 7518102822, 0542-2283305) से संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, वाराणसी विकास प्राधिकरण कार्यालय के हेल्पडेस्क अथवा संपत्ति अनुभाग में भी संपर्क किया जा सकता है। इस नीलामी से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट https://euctiof.vdvfs.com/home पर उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे समय पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें और इस अवसर का लाभ उठाएं।

सम्पति अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पूर्व में लाटरी सिस्टम से आवंटित जमीनों से इतर शेष आंशिक जमीनों के लिए ही यह प्रक्रिया हो रही है। जो पहले आवंटित हो चुके हैं वे यथावत हैं। उन प्लाटों पर यह प्रक्रिया प्रभावी नहीं होगी।

अवैध निर्माण को वीडीए ने किया सील

वाराणसी। अवैध निर्माण पर वीडीए इन दिनों सख्त है। इन दिनो विभाग की टीम जहां जांच कर रही है ,वहीं निर्माणकर्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर भवन को सील कर रहीं है। इसको लेकर जोन -1 की प्रर्वतन टीम बुधवार को अचानक सिकरौल वार्ड में पहुंचा। जहां कई जगहो पर हो रहे अवैध निर्माण को देखा और इसके बारे में पूछताछ की। इस दौरान टीम ने पाया कि वरूणा पुल पर राजाराम यादव द्वारा भूखण्ड सं. एस.-20/47 एवं एस.-20, आराजी संख्या-6, मकान नं.-एस.-20/47 एवं एस.-20/47ए, अशियाना चौराहा पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। उक्त निर्माण के विरुद्ध विभाग ने गत दिनों निर्माणकर्त्ता को जहां नोटिस दिया था,वहीं कार्य रोकने का निर्देश भी दे रखा था। इसके बावजूद निर्माणकर्त्ता द्वारा चोरी-छिपे, रुक-रुक कर रात्रि में निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस पर वीडीए की टीम मौके पर पहुंचा और निर्माणकर्त्ता के विरूद्व कार्रवाई कर भवन का सील कर दिया। इस अवसर पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा और टीम शामिल रही।